ELE-ELE/COND(LS)/10/2024-ELECT-1-Election Department

I/219639/2024

# कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

**विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001**

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 3417 /XXV- 74 /2022 देहरादून दिनांक 22 जून 2024

सेवा में,

**जिलाधिकारी एवं**

जिला निर्वाचन अधिकारी,

चमोली / हरिद्वार।

**विषयः–** **विधान सभा उप निर्वाचन, 2024–मतदान दिवस पर अवकाश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–946 / XXXI(15)G/24–10(सा.) / 2017 दिनांक–19 जून, 2024 (प्रति संलग्न) जिसके माध्यम से निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा–25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20 / 25–56–पब–2 दिनांक–08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली की 04–बद्रीनाथ एवं जनपद हरिद्वार की 33–मंगलौर विधान सभा उप निर्वाचन, 2024 हेतु उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय / अशासकीय कार्यालयों / शैक्षणिक संस्थानों / अर्द्ध–निकायों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों / कारीगरों / मजदूरों को मतदान हेतु **दिनांक–10 जुलाई, 2024 (बुधवार)** को सार्वजनिक अवकाश किया गया है।

2– अतः उपरोक्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तद्नुसार मतदान दिवस पर समस्त अर्ह मतदाताओं हेतु मताधिकार का प्रयोग के लिये अवकाश के सम्बन्ध में समस्त अधिनस्थ को निर्देशित करते हुए मतदान दिवस पर अवकाश के सम्बन्ध में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–78/EPS/2024 दिनांक–11 जून 2024 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

**भवदीय,**

**संलग्न–यथोपरि।**

**Signed by Mastu Das**
**Date: 22-06-2024 12:54:42**
**(मस्तू दास)**

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

**पृष्ठांकन संख्या–3417 /XXV- 74 /2022तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

1. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली को उक्त अधिसूचना की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश एवं हिमांचल प्रदेश को आयोग के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. महानिदेशक सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग / नोडल अधिकारी मीडिया सेल निर्वाचन को इस आशय से कि उक्त सूचना को प्रेस नोट के रूप में समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु निःशुल्क प्रकाशित कराने तथा समाचार पत्रों की कटिंग मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

**संलग्न–यथोपरि।**

**(मस्तू दास)**

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

I/218696/2024

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्या–946/xxxi(15)G/24–10(सा0)/2017
देहरादून दिनांक 19 जून, 2024

## अधिसूचना

श्री राज्यपाल, निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 (1881 का एक्ट संख्या–26) की धारा 25 द्वारा प्राप्त उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिन्हें भारत सरकार की विज्ञप्ति संख्या–20/25–56–पब–2, दिनांक 08 जून, 1957 के अनुसार राज्य सरकार प्रयोग में ला सकती है, के तहत उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली की **04–बद्रीनाथ** एवं जनपद हरिद्वार की **33–मंगलौर** विधान सभा उप निर्वाचन, 2024 हेतु उक्त निवार्चन क्षेत्रों में स्थित समस्त अविरल प्रकिया संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय/अशासकीय कार्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध–निकायों/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों को मतदान हेतु **दिनांक 10 जुलाई, 2024 (बुधवार)** को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त तिथि को निर्वाचन क्षेत्र में पड़ने वाले बैंक, कोषागार तथा उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।

Signed by Deependra Kumar Chaudhari
Date: 19-06-2024 11:53:04

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

संख्या– /xxxi(15)G/24–10(सा0)/2017 तद्दिनांक।

**प्रतिलिपिः–** निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों व कार्यालयों में निर्दिष्ट तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
5. राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
9. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. जिलाधिकारी, चमोली/हरिद्वार।
11. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना का समाचार पत्रों में आवश्यक प्रचार/प्रसार करने का कष्ट करें।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को उत्तराखण्ड प्रदेश के आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कराते हुए गजट की 20 प्रतियां सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने

का कष्ट करें।

13. राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

14. गार्ड फाईल।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)
सचिव।

[redacted]

By Speed Post/Email

# भारत निर्वाचन आयोग
# ELECTION COMMISSION OF INDIA

Tel. No. 011-23052246
Fax 011-23052001
Website: www.eci.gov.in

निर्वाचन सदन
अशोक रोड, नई दिल्ली–110001
Nirvachan Sadan
Ashoka Road, New Delhi-110001

No.78/EPS/2024

Dated: 11th June, 2024

To

1. The Secretary to the Govt. of India, M/o Personnel Public Grievances & Pensions,
   Department of Personnel and Training
   North Block, New Delhi.
2. The Chief Secretaries of
   Bihar, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal
3. The Chief Electoral Officers of
   Bihar, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal

Subject: Bye-elections to various Assembly Constituencies of Bihar, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal, 2024 – PAID HOLIDAY – regarding.

Madam/Sir,

I am directed to refer to the subject cited and to inform that the Commission has announced bye-elections to various Assembly Constituencies of Bihar, Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Uttarakhand and West Bengal, 2024, vide its Press Note No.ECI/PN/120/2024 dated 10.06.2024 (copy enclosed). The date of poll has been fixed on 10.07.2024(Wednesday) and date of counting is on 13.07.2024(Saturday).

2. In this regard, your attention is invited to Section 135B of the Representation of the People Act, 1951 which provides for the grant of paid holiday to the employees on the day of poll. Section 135B of Representation of the People Act, 1951 is reproduced below:

Section 135B: Grant of paid holiday to employees on the day of poll:

a) Every person employed in any business, trade, industrial undertaking or any other establishment and entitled to vote at an election to the House of the People or the Legislative Assembly of a State shall, on the day of poll, be granted a holiday.

b) No deduction or abatement of the wages of any such person shall be made on account of a holiday having been granted in accordance with sub-section (1) and if such person is employed on the basis that she/he would not ordinarily receive wages for such a day, she/he shall nonetheless be paid for such day the wages she/he would have drawn had not a holiday been granted to her/him on that day.

c) If an employer contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2), then such employer shall be punishable with fine, which may extend to five hundred rupees.

d) This section shall not apply to any elector whose absence may cause danger or substantial loss in respect of the employment in which he is engaged.

3. The above provisions require that all the electors who are employee of establishments and shops including those which work on shift basis shall be granted a paid holiday on the day of poll in the Constituency where the bye-elections are to be held. Further, there may be cases where a person is ordinarily resident of the Constituency and registered as an elector, may be serving or employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the Constituency having bye poll. It is clarified that in such a situation, even those electors including casual workers working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under the Section 135B (1) of the Representation of the People Act, 1951.

4. The daily wage/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in Section 135B of the R.P. Act, 1951.

5. The Commission desires that suitable instructions shall be issued to all concerned and a copy thereof be endorsed to the Commission for its information and record.

The receipt of this letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully

(AJAY KUMAR VERMA)
SECRETARY